

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 जून 2022—ज्येष्ठ 24, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2022

क्र. एफ-ए-3-02-2017-1-पांच-(32).—मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19, सन् 2017) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम 2017, के नियम, 109ए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-19-2017-1-पांच (28), दिनांक 24 जून, 2017 एवं क्रमांक एफ-ए-3-21-2017-1-पांच(30), दिनांक 24 जून, 2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारी को कॉलम (3) में उल्लेखित उनके पदनाम के साथ कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र (क्षेत्रीय अधिकारिता) के लिए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है. सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 109ए के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में उल्लेखित अपीलीय प्राधिकारी की समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त या अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:—

सारणी

अ. क्र.	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्र (क्षेत्रीय अधिकारिता) संयुक्त आयुक्त (अपील) के क्षेत्र में शामिल क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सपन कुमार सोनटके	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त (अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर सागर)	सागर संभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जून 2022

क्र. एफ-ए-3-02-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-02-2017-1-पांच-(32), दिनांक 14 जून, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 14th June 2022

No. F-A-3-02-2017-1-V (32).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Goods and Service Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) read with Rules 109A of Madhya Pradesh Goods and Service Tax Rules, 2017 and this departments notification No. F-A-3-19-2017-1-V(28), dated 24th June, 2017 and No. FA-3-21-2017-1-V-(30), dated 24th June, 2017 the State Government hereby Appoints the Officers Mentioned in Column (2) of the table below with their Designation mentioned in Column (3) thereof as appellate Authority for the Area (Territorial Jurisdiction) Specified in Column (4). The Officer Mentioned in Column (2) of the table shall exercise all the powers and perform all the Duties conferred or imposed on the appellate Authority mentioned in Clause (b) of sub-rule (1) of rule 109A of the Madhya Pradesh Goods and Service Tax Act, 2017 namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Officer	Designation of the Officer	Area (Territorial Jurisdiction)-Area comprising the area of joint Commissioner (appeal)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Sapan Kumar Sontake	Joint Commissioner of State Tax, (Appellate Authority of Commercial Tax, Sagar Division).	Sagar Division

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.